सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकः–एफ.4 /पंरावि/सीसीडीयू /पंचायत दिवस/फीडबैक/14/3056 **जयपुर, दिनांकः**– 26/6/14

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,(समस्त्)

विषयः– पंचायत दिवस योजना बाबत दिशा–निर्देश।

राज्य की समस्त् पंचायत समितियों में पंचायत दिवस कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी की जाती है। विभाग स्तर से समस्त जिलों में पर्यवेक्षणीय अधिकारी लगाये गये है, जो नियमित रूप से पंचायत दिवस कार्यक्रमों में भाग लेते है। पर्यवेक्षण अधिकारियों से समीक्षा बैठकों में प्राप्त फीड बैक व रिपोर्टस के आधार पर पंचायत दिवस संचालन को और प्रभावी बनाने के लिये निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि पंचायत दिवस कार्यक्रम के दिन उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी होने व समायोजित होकर राशि हस्तान्तरण का कार्य बहुत धीमी गति अथवा नगण्य है। अतः उसी दिवस में कार्यों को गति देने के लिये पूर्व तैयारियां निम्नानुसार सुनिश्चित की जावे।

अ. समस्त ग्राम सेवक पंचायत दिवस से 5 दिन पूर्व के निमार्णाधीन कार्यों एवं पूर्ण कार्यों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र/पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप (फोटो एवं सरपंच के हस्ताक्षर) हेतु तैयार करना सुनिश्चित करेगें एवं तैयार यू0सी0/सी0सी0 सम्बन्धित अभियन्ता को कैम्प के 3 दिवस पूर्व तक एम0बी0 भरने हेतु कनिष्ठ तकनीकि सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता को प्रस्तुत करेगे। सम्बन्धित द्वारा कैम्प के 2 दिवस पूर्व तक मौके की नाम ली जा कर माप पुस्तिका में इन्द्राज कर मूल्याकंन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। ततपश्चात सहायक अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षर योग्य माप पुस्तिकाओं को संबंधित को सम्भलाएगा । संबंधित संक्षम अभियन्ता द्वारा पंचायत दिवस तक उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा ताकि समायोजन एवं राशि हस्तान्तरण की प्रक्रिया सम्पादित हो सके।

ब. विकास अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायतों को ग्रांट के रूप में (SFC,TFC & Untied Fund)प्राप्त होने वाली निधियों के तैयार शुदा उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र की जांच कैम्प में उपस्थित लेखा कार्मिकों से कराई जाकर 'पंचायत दिवस' के दिन ही समायोजन आदेश जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावे।